न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 106/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/177

1. बृजलाल पुत्र श्योकरण निवासी 4 बीजीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. बीरबलराम पुत्र श्योकरण निवासी 4 बीजीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

बनाम

1. आराजीराज तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री शेराराम, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार

—:: आदेश ::—

दिनांक : 16.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि —

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 4 बीजीएम खाता सं. 193 प.नं. 141/380 का 2.218है. प्रार्थी बीरबलराम व चक 4 बीजीएम खाता सं. 192 प.नं. 141/380 का 2.219है. प्रार्थी बृजलाल की भूमि में आवागमन हेतु आराजीराज भूमि चक 4 बीजीएम प.नं. 140/380 कि.नं. 21,22,23,24,25 में से दक्षिण दिशा में पत्थर लाईन के साथ साथ 2—2 बिस्वा रास्ता कि.नं. 25 में चल रहे आम रास्ता तक स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/रीडर/2025/867 दिनांक 12.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।
3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग नहीं है यही रास्ता एकमात्र रास्ता है जिसका प्रयोग करके प्रार्थीगण अपनी भूमि में प्रवेश करते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गै.मु. रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
4. बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीवियजनगर की रिपोर्ट के अनुसार चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है उक्त रास्ता में कि.नं. 22 में खेजड़ी का पेड़ खड़ा है उक्त रास्ता के उत्तर दिशा में चिपती विद्युत लाईन है मौका पर उक्त मु.नं. 141/380 कि.नं. 25/3/0.076है. गै.मु. नहर, 25/2/0.089 अ.क. बृजलाल पुत्र श्योकरण के नाम से, 25/1/0.063है. आराजीराज, 25/4/0.014 गै.मु. खाला, 25/5/0.013 कमाण्ड रकबा अमरचन्द पुत्र मोहनलाल जाति बिश्नोई वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है। मु.नं. 140/380 का कि.नं. [illegible]/0.013है. गै.मु. नहर दर्ज है। मौका पर उक्त मु.नं. 140/380 के कि[illegible] 21 [illegible] व मु.नं. 141/380 के कि.नं. 25 में रिकार्ड अनुसार गै.मु. नहर माईनर [illegible]) व खाला चल रहा है।
5. रिपोर्ट तहसीलदार एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत [illegible]जरी नक्शा का गह[illegible] परिशीलन किया। रिपोर्ट तहसीलदार/भू.अ.नि. अनुसार रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित मार्ग कि.नं. 21 से 25 में कि.नं. 21 में गै.मु. नहर दर्ज है, माईनर चल रहा है। ऐसे में मु.नं. 140/380 कि.नं. 21 में माईनर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

हद तक रास्ता दिया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—: **आदेश** :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 4 बीजीएम मु.नं. 140/380 कि.नं. 25 से 21 पूर्व से पश्चिम (कि.नं. 21 में माईनर की सीमा प्रारम्भ होने की हद तक) दक्षिणी पासा दो—दो बिस्वा पश्चिमी पासा पत्थर लाईन के साथ साथ रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि मुआवजा के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर रास्ता में आई भूमि पर प्रतिकर राशि की गणना कर नियमानुसार प्रार्थी से राशि जमा करवा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करें एवं स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested